9/17

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH Z 816279

संशोधित न्यास–विलेख

स्टाम्प शुल्क : 5000/– मात्र

(अन्तर्गत धारा–5 पठित, धारा–8 संपठित, धारा–3 इण्डियन ट्रस्ट ऐक्ट 1882)

[illegible] दिनांक 18.11.2004 [illegible] 301/4020 [illegible] 01 [illegible] बाबू सुरेन्द्र सिंह [illegible] संशोधित विलेख निम्न प्रकार होगा।

[illegible] निम्नलिखित [illegible] की गई है —

[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

MAR 2017

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 016280

1- यह कि न्यास का खाता अंकन रूपये 80,000 ([illegible] हजार रूपये) खाता सं0 –212174 बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा– फतेहपुर में आरम्भ किया जा रहा है।

2- यह कि संस्थापक न्यासकर्ता द्वारा स्थापित उक्त न्यास का पंजीकृत कार्यालय– [illegible] हाउस, नई बाजार, खागा, फतेहपुर में स्थित होगा। उक्त न्यास के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने तथा इसके उद्देश्यों की सुगम परिपूर्ति के लिए इसके कार्यालय की शाखाएं देश एवं प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी स्थापित की जायेंगी और उन कार्यालयों के ऊपर उपरोक्त न्यास द्वारा गठित की जाने वाली समितियों व उपसमितियों का पंजीकरण भी आवश्यकतानुसार कराया जा सकेगा।

3- अमर प्रताप सिंह के त्याग पत्र अथवा निधन के पश्चात [illegible] संस्थापक मुख्य न्यासी के पद पर मुख्य न्यासकर्ता के रूप में विधिक रूप से प्रभावी उत्तराधिकारी अधिनियमों की संगत व्यवस्थाओं एवं [illegible] की परिभाषा के अनुरूप मेरे (अमर प्रताप सिंह) के उत्तराधिकारी, मुख्य न्यासकर्ता के पद को ग्रहण करेंगे।

4- यह कि मैं अमर प्रताप सिंह अपने जीवन पर्यन्त उपरोक्त न्यास का संस्थापक मुख्य न्यासी रहूँगा तथा न्यास के अन्तर्गत सम्पन्न होने वाले समस्त कार्यों तथा स्थापित की जाने वाली संस्थाओं का प्रबन्ध निदेशक/सचिव भी रहा करूँगा। न्यास के संचालन व [illegible] के लिए मैं निम्नलिखित व्यक्तियों को न्यास के न्यासी के रूप में नामित करता हूँ। मेरे द्वारा नामित निम्नलिखित न्यासियों को मैंने न्यास के उद्देश्यों के अनुसार न्यास के हित में कार्य करने के लिए [illegible] कर दी है। इस प्रकार मेरे द्वारा नामित निम्नलिखित व्यक्तियों को न्यास का न्यासी माना जायेगा तथा मुख्य न्यासी व न्यासियों [illegible] से न्यास सम्बद्ध माना जायेगा। भविष्य में भी संस्थापक मुख्य न्यासी के रूप में मेरे जीवन पर्यन्त मेरे द्वारा [illegible] अन्य लोगों को भी [illegible] के न्यासी के रूप में नामित किये जाने का अधिकार मेरे पास सुरक्षित होगा। मेरे द्वारा मुख्य न्यासी के पद से त्यागपत्र दिये जाने अथवा मेरे निधन के उपरान्त [illegible]

र्जिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उपनिबंधक (प्र0)

उपनिबंधक सहायक

फतेहपुर

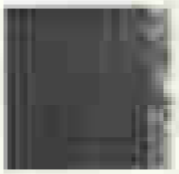

उपनिबंधक (प्र0)

उपनिबंधक सहायक

फतेहपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH Z 816281

उद्देश्य के अनुसार मुख्य न्यासी को अधिकार प्राप्त व्यक्ति को भी अपने जीवन पर्यन्त न्यासमण्डल में न्यासी के रूप में किसी भी व्यक्ति को नामित किये जाने का अधिकार सुरक्षित होगा।

न्यास मण्डल के न्यासियों का विवरण

क्र.सं.	नाम	पदनाम	पिता / पति का नाम	पता	व्यवसाय	धर्म	फोटो
1	श्रीमती [illegible] सिंह	न्यासी	पत्नी श्री [illegible] सिंह	[illegible]	गृहणी	बौद्ध	
2	श्री [illegible] सिंह	न्यासी	स्व. [illegible] सिंह	[illegible]	व्यापार	बौद्ध	
3	श्री [illegible]	न्यासी	स्व. [illegible]	[illegible]	व्यापार	बौद्ध	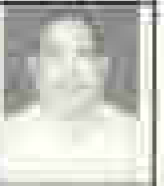
4	श्री [illegible] सिंह	न्यासी	श्री [illegible] सिंह	[illegible]	व्यापार	बौद्ध	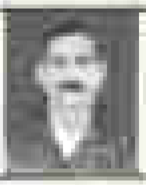

साक्षी

Registration No.: [illegible] Year: 2017 Book No.: [illegible]

[illegible]

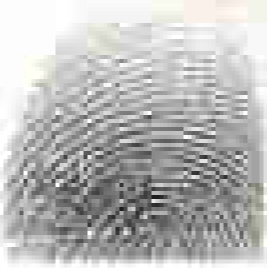

-4-

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 816282

[illegible]	श्री [illegible]	न्यासी	श्री [illegible]	[illegible]	नौकरी	हिन्दू	
[illegible]	श्रीमती [illegible] सिंह	न्यासी	श्री [illegible] सिंह	[illegible]	गृहणी	हिन्दू	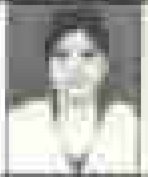
[illegible]	श्री [illegible] सिंह	न्यासी	श्री [illegible] सिंह	[illegible]	नौकरी	हिन्दू	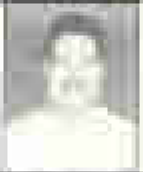
[illegible]	श्री [illegible] सिंह	न्यासी	श्री [illegible] सिंह	[illegible]	नौकरी	हिन्दू	
[illegible]	[illegible]	न्यासी	श्री [illegible]	[illegible]	नौकरी	मुस्लिम	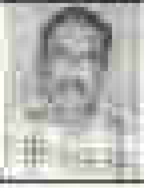

5. न्यास के उद्देश्य

न्यास के उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

गवाह

Registration No.: 8 Year: 2017 Book No.: 1

W1 [illegible] सिंह

[illegible] सिंह

[illegible] [illegible]

W2 [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible]

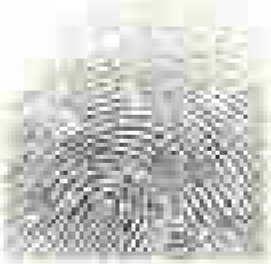

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
रु. 500
FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये
Rs. 500
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 874283

1. संस्था/न्यास के अन्तर्गत गठित किये जा रहे इस न्यास का मुख्य उद्देश्य सर्व जन समुदाय तथा विशेष रूप से अल्पसंख्यकों एवं बौद्ध समुदाय के अनुयायी वर्ग का सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, धार्मिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक व बौद्धिक विकास करना है। न्यास की अन्तर्गत समाज के उत्थान, विकास, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं जागरूकता की दृष्टि से संचालित किये जाने वाले समस्त कार्यक्रमों को तथा संचालित की जाने वाली संस्थाओं को जनहित में बिना लाभ के संचालित किया जायेगा।
2. भगवान बुद्ध के धर्म का अनुपालन [illegible] बहुजन सुखाय हेतु प्रचार-प्रसार, संस्था एवं सामाजिक विचारकों, कार्यकर्ताओं को संगठित करना तथा आपस में भाईचारे एवं एकता की भावना पैदा करना जिससे समाज में समरसता स्थापित हो तथा भारतीय बौद्ध उपासकों का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य देशों के बौद्ध उपासकों से विश्व शान्ति हेतु मधुर सम्बन्ध स्थापित करना एवं समस्त देशों के बौद्ध उपासकों की सूची प्रकाशित करना।
3. भगवान बुद्ध एवं [illegible] महापुरुषों की जयन्तियां समारोह का आयोजन करना एवं भगवान बुद्ध के [illegible] व जीवन पर साहित्य आदि का प्रकाशन कर उनकी बताई गई शिक्षाओं एवं आदर्शों का जन समुदाय में प्रचार-प्रसार करना तथा समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, विचार गोष्ठी, सेमिनार, वाद विवाद प्रतियोगिता, खेलकूद प्रतियोगिता आदि का निःशुल्क आयोजन करना।
4. कमेटी के माध्यम से अल्पसंख्यकों एवं बौद्ध धर्म के अनुयायियों हेतु [illegible] अल्पसंख्यक विभागों तथा समाज कल्याण उत्तर प्रदेश, केन्द्रीय एवं राज्य विकास मंत्रालय [illegible] द्वारा संचालित योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना तथा [illegible] ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, ग्रामीण विकास योजना एवं बाल विकास परियोजनाओं के संचालन में सहयोग प्रदान करना तथा महिला समूहों का गठन करना एवं उनके विकासक्रम में सहयोग प्रदान करना तथा समाज कल्याण

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
रु. 500
FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये
Rs. 500
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
Z 816284

शिक्षा, उत्तर प्रदेश केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कपार्ट, नाबार्ड, यूनिसेफ, सिडबी, हुडको, यूएनडीपी, हेल्पेज इण्डिया, एक्शन इण्डिया, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करना व उनका प्रचार-प्रसार करना।

5. विकलांग, निराश्रित, विधवा, वृद्धजन, मूक बधिर, कुष्ठ रोगियों, बेसहारा एवं महिलाओं तथा बच्चों के लिए निःशुल्क चिकित्सा, भोजन, वस्त्र एवं पुनर्वासीय सहायता उपलब्ध कराना।

6. स्वरोजगार अपनाने हेतु महिलाओं/युवकों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ललित कला, शिल्प कला, फल एवं खाद्य प्रसंस्करण एवं कलात्मक वस्तुओं के निर्माण आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाकर उनके स्वावलम्बन की भावना जागृत करना तथा न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निःशुल्क पुस्तकालय व वाचनालय की स्थापना करना।

7. समाज के पिछड़े व अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक समुदाय तथा गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों हेतु शासन की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार का स्वीकरण हेतु प्रोत्साहित जागरूक शिक्षाप्रदायक बनाना।

8. जन सामान्य में नैतिक मूल्यों के सुधार हेतु छुआछूत, जातिवाद, आतंकवाद, बाल विवाह प्रथा, महिला उत्पीड़न, शिशु हत्या, कुरीतियों व बुराइयों, अंधविश्वास आदि के निवारण हेतु जागरूकता शिविरों, सेमिनारों के माध्यम से प्रचार-प्रसार करना व गरीब कन्याओं, युवक-युवतियों हेतु दहेज रहित सामूहिक विवाह का आयोजन करना।

9. जन सामान्य के बेहतर स्वास्थ्य हेतु समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, टीकाकरण, प्रशिक्षण शिविर, रक्तदान शिविर, नेत्र शिविर, पल्स पोलियो शिविर को निःशुल्क आयोजित करवाना व विश्व एड्स दिवस एवं विभिन्न प्रकार के [illegible]

614

15

14/15

609

- 1 -

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH Z 816285

कार्यक्रमों को जगह-जगह पर कराये जाने तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों जैसे- शिशु कल्याण, मातृत्व कल्याण, परिवार कल्याण, परिवार नियोजन आदि के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करना एवं विभिन्न प्रकार की जानलेवा बीमारियों जैसे- एच0आई0वी0, एड्स, कैंसर, टी0बी0, हार्ट डिजीज, हेपेटाइटिस-बी, मलेरिया, [illegible], [illegible], मधुमेह, कुष्ठ, नेत्र विकार, पीलिया, फ्लूरोसिस, आदि की पहचान व रोकथाम हेतु निःशुल्क मेडिकल कैम्प, अस्पताल, जागरूकता शिविरों का आयोजन करना एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति, सिद्धयोग, योग, प्राकृतिक चिकित्सा तथा अन्य सभी प्रकार की उपचार पद्धतियों का निःशुल्क प्रचार-प्रसार करना और सम्बन्धित केन्द्रों की निःशुल्क स्थापना शासन की अनुमति के पश्चात करना तथा जन हितार्थ निःशुल्क धर्मार्थ चिकित्सालय, अनाथालय, विधवा गृह, विधवा आश्रम, वृद्ध आश्रम, महिलाओं एवं पुरुषों के लिए शार्ट स्टे होम आदि की स्थापना शासन की अनुमति के पश्चात करना।

10. शहरी, ग्रामीण क्षेत्रों एवं मलिन बस्तियों के विकास, सुधार व सफाई हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार, नगर निगम/[illegible] बोर्ड, सार्वजनिक उपक्रमों आदि के सहयोग से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू कराना तथा मलिन बस्तियों में शौचालय, सड़क, नाली, हैण्डपम्प इत्यादि के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान तथा पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, तालाबों पोखरों के विकास, [illegible], जल संरक्षण, [illegible] संरक्षण, स्वच्छता [illegible], [illegible] नियंत्रण, ग्राम सफाई, [illegible] प्रदूषण नियंत्रण, भूगर्भ जल [illegible], [illegible] विकास, हरियाली कार्यक्रम, [illegible] विकास, पशु पक्षी संरक्षण, [illegible] जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार एवं क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करना।

11. शिक्षा के प्रचार-प्रसार, प्रसार व उन्नयन हेतु सम्बन्धित विभागों/तकनीकी बोर्ड एवं शिक्षा विभाग की अनुमति के पश्चात विद्यालय, प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों/शिक्षण संस्थाओं, [illegible] विद्यालय, आवासीय विद्यालय, [illegible] विद्यालय, औद्योगिक विद्यालय, कृषि कालेज, मेडिकल कालेज, पैरामेडिकल कालेज, व्यावसायिक शिक्षा, [illegible]

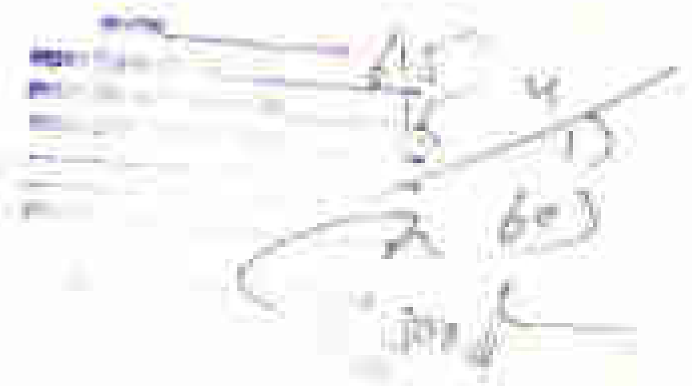

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये Rs. 500
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
Z 816286

शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा आदि की व्यवस्था करना तथा शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय, सम्बन्धित विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत होने वाले तत्सम्बन्धी आदेशों/निर्देशों का पालन करना तथा गरीब, मेधावी गरीब व असहाय छात्र/छात्राओं को निःशुल्क सभी स्तर की शिक्षा भारत सरकार, राज्य सरकार अथवा शासन के नियमानुसार उपलब्ध कराना।

12. न्यास के अधीन संचालित संस्थाओं व समितियों की सदस्यता के लिए विभिन्न प्रकार की लिखित रूप से तैयार करना तथा इसके लिए धन की व्यवस्था हेतु सदस्यता शुल्क दान, अनुदान, चन्दा इत्यादि निर्धारित करना, प्राप्त करना तथा उनकी समस्त सुव्यवस्थित करना एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं का निर्माण करना।

13. न्यास के अधीन चलने वाली संस्थाओं को संचालित करने हेतु उनकी व्यवस्था के लिए लाभार्थियों से निर्धारित शुल्क प्राप्त करना तथा कार्यक्रमों के आयोजनों तथा संस्थाओं की स्थापना के लिए न्यास के सम्मानित सदस्यों से चन्दा लेना और उसका ब्योरा रखना।

14. न्यास की सम्पत्ति की देखभाल करना तथा न्यास की सम्पत्ति को बढ़ाने के उपाय प्रबन्ध करना और आवश्यकता पड़ने पर न्यास की सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना।

15. न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों में अनियमितता की स्थिति उत्पन्न होने तथा किन्हीं आकस्मिक परिस्थितियों में उसके संचालन के वास्ते गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था न्यास में निहित करना।

16. न्यास के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं, विद्यालयों, शिक्षण केन्द्रों, चिकित्सालयों अन्य समस्त समितियों के लिए आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करना और इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियों के लिए वेतनमान एवं व्यवहार नियमावली तैयार करना और उनके हित में अन्य कार्यों को करना।

[illegible]
115 4/15
[illegible]
[illegible] 60
[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये Rs. 500
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH Z 814287

17. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सम्पत्तियों की व्यवस्था करना तथा न्यास द्वारा आयोजित कार्यक्रमों एवं संस्थाओं हेतु सरकारी, अर्धसरकारी/गैर सरकारी विभागों तथा केन्द्र अथवा/एवं राज्य सरकार, संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं/न्यासों, विश्वविद्यालयों/अकादमिक संस्थाओं, भारतीय उद्योग और देश एवं विदेश में रहने वाले व्यक्तियों तथा अन्य किसी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण, सहयोग, दान तथा अनुदान प्राप्त करना तथा उनसे सुचारु कार्यक्रमों एवं संस्थाओं के संचालन एवं न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यय करना।

18. भारतीय संविधान की धारा 30(1) के अन्तर्गत विद्यालय, शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय एवं अन्य शिक्षण संस्थाओं को खोलकर सभी समुदाय विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को शिक्षा उपलब्ध कराना।

19. भारत सरकार/ राज्य सरकार के नियमानुसार चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (AYUSH) में स्नातक व परास्नातक स्तर पर चिकित्सा महाविद्यालय अथवा प्रशिक्षण केन्द्र/संस्थान की स्थापना, विकास व संचालन करना।

20. शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जैसे कि – बी०एड०, एम०एड०, बी०पी०एड०, एम०पी०एड०, डी०एल०एड०, बी०एड०, बी०पी०एड०, एम०ए०, एम०पी०एड० बी०पी०एड०, कला शिक्षा (सूक्ष्म कलाएं), कला शिक्षा (अभिनय कलाएं) व बी०टी०सी० एवं तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा जैसे कि आई०टी०आई०, पॉलीटेक्निक (भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी ट्रेडों में), बी०टेक, एम०टेक, बी०फार्मा, एम०फार्मा, बी०एस–सी (कृषि), पी०जी०डी०सी०ए० आदि में मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त करते हुए स्नातक व परास्नातक स्तर पर डिप्लोमा/डिग्री हेतु पाठ्यक्रम का संचालन करना।

21. मेडिकल एवं पैरामेडिकल में स्नातक व परास्नातक स्तर पर डिग्री अथवा डिप्लोमा पाठ्यक्रम जैसे कि एम०बी०बी०एस०, बी०डी०एस०, बी०एच०एम०एस०, नर्सिंग, बी०फार्मा०,

[illegible] 6/12 - 4

609

510 [illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DD 461751

पुस्तकालयों आदि तथा होस्टल प्रबन्धन सम्बन्धित पाठ्यक्रम एवं व्यवसाय शिक्षा जैसे कि पी0जी0डी0बी0एम0, बी0बी0ए0, एम0बी0ए0 तथा एम0सी0ए0 से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों से मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त करते हुए संचालन करना।

22. मानवीय विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, औद्योगिक कालेज, डेन्टल कालेज, अनुसंधान केन्द्र व विकलांग विद्यालय की स्थापना व संचालन करना।

8. <u>न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था</u>

1. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्धारित विभिन्न कार्यक्रमों एवं संस्थाओं की प्रबन्ध व्यवस्था न्यासगणों द्वारा सर्वानुमति अथवा बहुमत के आधार पर की जायेगी। इस प्रकार न्यास के अन्तर्गत संचालित होने वाली विभिन्न इकाइयों की सुचारू प्रबन्धकीय व्यवस्था के लिए समितियों एवं उप समितियों का गठन किया जायेगा। गठित होने वाली प्रत्येक उप-समिति/समिति/प्रबन्ध समिति/प्रबन्ध मण्डल इत्यादि का अध्यक्ष मुख्य न्यासी होगा जिसे प्रबन्ध निदेशक/सचिव के पदनाम से जाना जायेगा। इस न्यास के अन्तर्गत गठित होने वाली प्रत्येक उप-समिति/समिति/प्रबन्ध समिति/प्रबन्ध मण्डल इत्यादि के कार्यकारी अधिकार एवं निर्णय अधिकार प्रबन्ध निदेशक में निहित होंगे।

2. न्यास की बैठक सामान्यतः वर्ष में चार बार अर्थात हर तीसरे माह में आवश्यक रूप से बुलायी जायेगी। आवश्यकतानुसार प्रत्येक माह भी बैठक की जा सकती है। आकस्मिक स्थिति में कभी भी बैठक की जा सकती है। बैठक हेतु न्यासगणों को बैठक की सूचना देने का माध्यम रजिस्टर्ड/पत्र/ई-मेल/मोबाइल फोन होगा। सामान्य बैठक की सूचना बैठक की निर्धारित तिथि से 15 दिन पूर्व प्रेषित कर दी जायेगी किन्तु आकस्मिक स्थिति में 24 घंटे की अवधि सूचना देकर कभी भी बैठक आहूत की जा सकेगी।

610

180

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

3. बैठक का कोरम न्यासमण्डल के 02 प्रतिशत् न्यासी के अतिरिक्त 01 अन्य न्यासी की उपस्थिति पर पूर्ण माना जायेगा। सामान्यतः न्यासमण्डल की बैठक की अध्यक्षता संस्थापक मुख्य न्यासी अथवा मुख्य न्यासी (जैसी भी स्थिति हो) के द्वारा की जायेगी। मुख्य न्यासी द्वारा किसी अपरिहार्य कारण से निर्धारित बैठक की समय एवं तिथि पर उपस्थित न होने की स्थिति में बैठक की कार्यवाही उपस्थितियों अनुक्रम में न्यासमण्डल के सदस्य-द्वारा की जायेगी। संस्थापक मुख्य न्यासी के निधन होने अथवा त्याग-पत्र देने की स्थिति में नियमानुसार कार्यरत उत्तराधिकारी न्यासमण्डल की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

4. न्यासमण्डल के सभी निर्णय सर्वानुमति अथवा बहुमत के आधार पर लिए जायेंगे। न्यास के अधीन संचालित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनकी सेवा शर्तों एवं सेवा सुविधाओं का निर्धारण भी न्यास मण्डल के निर्णयाधीन होगा। इसी प्रकार न्यासमण्डल के निर्देश से न्यास के अन्तर्गत संचालित होने वाले किसी भी संस्थान/संस्था में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी के निलम्बन एवं सेवा समाप्ति का अधिकार भी न्यासमण्डल को होगा।

5. न्यास के अधीन संचालित होने वाले कार्यक्रमों एवं संस्थाओं के सुचारू रूप से संचालन के लिए नियमानुसार कार्यकारिणी समितियों, प्रबन्ध समितियों तथा प्रशासनिक योजनाओं इत्यादि का पंजीकरण सम्बन्धी नियामक संस्था, शासन, प्राधिकरण के अधिनियम, उपनियम एवं नियमावली के अनुसार अलग-अलग नियमावली बनाकर तथा उप नियमों का निर्माण करके किया जायेगा जिसका अनुमोदन सम्बन्धित नियामक संस्था, प्राधिकरण, विश्वविद्यालय इत्यादि से प्राप्त किया जायेगा। न्यासमण्डल का विशिष्ट गठन हो जाने के उपरान्त उक्त कार्यकारिणी, प्रबन्ध समितियों तथा प्रशासनिक योजनाओं इत्यादि को न्यास गठन के अधिनियमों के अन्तर्गत न्यासमण्डल के निर्णयों से प्रभावी माना जायेगा तथा उसे उक्त संस्थान/संस्था की प्रशासनिक व्यवस्था समझा जायेगा।

100

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 | FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL 23 MAR 2017

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

न्यासमण्डल को किसी भी समय की प्रशासनिक व्यवस्था को आवश्यकतानुसार संशोधित करने का अधिकार होगा।

<u>न्यास का कोष एवं वित्तीय प्रबन्ध व्यवस्था :-</u>

न्यास की स्थापना के समय एक मुश्त रूप से उपलब्ध कराये गये रु0 50,000 (पचास हजार रुपये) के अतिरिक्त अन्य, दान, अनुदान तथा सम्पत्तियों की व्यवस्था हेतु न्यास के कोष एवं वित्त की प्रबन्ध व्यवस्था निम्नलिखित रूप से की जायेगी –

1. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये न्यास का अपना एक कोष होगा जिसमें सभी प्रकार की सदस्यता शुल्क, लाभार्थियों द्वारा प्राप्त होने वाला शुल्क, दान, अनुदान, वित्तीय सहायता एवं सहयोग तथा सरकारी, गैर सरकारी प्रतिष्ठानों एवं व्यक्तियों से प्राप्त व्यक्तिगत ऋण तथा वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त की जाने वाली ऋण राशियों से प्राप्त धनराशि को न्यास का कोष माना जायेगा।

2- न्यासमण्डल द्वारा लिये गये निर्णय एवं सहमति से वित्तीय संस्थाओं व बैंकों इत्यादि से दान, सहायता या ऋण इत्यादि लिया जा सकेगा और किसी भी उचित एवं वैधानिक माध्यम से न्यास की आय बढ़ायी जा सकेगी। न्यास के कोष की व्यवस्था के लिये खाता/खाते किसी भी राष्ट्रीयकृत/मान्यता प्राप्त बैंक/डाकघर में ही खोले जायेंगे। इस प्रकार खोले जाने वाले खातों का संचालन करने का अधिकार मुख्य न्यासी को अपने एकल रूप से अथवा किसी अन्य न्यासी के साथ संयुक्त रूप से करने का अधिकार होगा। बैंक व वित्तीय संस्थाओं इत्यादि से ऋण, अनुदान आदि के सम्बन्ध में लेन-देन आदि, चेक व निकासी रखने का अधिकार मुख्य न्यासी का होगा तथा इसके सम्बन्ध में की गयी औपचारिकतायें मुख्य न्यासी के हस्ताक्षर के द्वारा की जायेंगी।

3- किसी भी व्यक्ति द्वारा दिये गये चंदे/दान की धनराशि तथा न्यास द्वारा अर्जित अथवा दान के रूप में प्राप्त होने वाली चल-अचल सम्पत्ति को न्यास के हित में ऋण हेतु गिरवी तथा बंधक रखने का अधिकार न्यासमण्डल को होगा। दान देने वाले व्यक्ति व

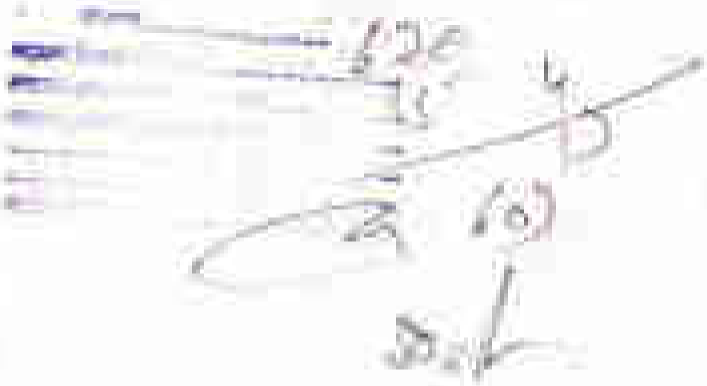

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 — FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH — EM 271593

उसके उत्तराधिकारियों एवं वंशजों को दान दी हुई सम्पत्ति पर कोई भी वैधानिक व कानूनी अधिकार नहीं होगा तथा उसका स्वामित्व न्यास में निहित रहेगा।

4- न्यास की आय–व्यय का विवरण तथा लेखा–जोखा व्यवस्थित प्रकार से रखने का उत्तरदायित्व भी मुख्य न्यासी का होगा जिसे प्रतिवर्ष चार्टर्ड एकाउटेण्ट अथवा सम्परीक्षा हेतु निर्धारित नियमानुसार प्रत्येक लेखावर्ष की समाप्ति पर सम्परीक्षित कराया जायेगा तथा न्यास का बजट प्रत्येक लेखावर्ष की समाप्ति से पूर्व न्यासमण्डल की बैठक से अनुमोदित कराया जाना अनिवार्य होगा। वित्तीय अभिलेखों के रख–रखाव का दायित्व भी मुख्य न्यासी का होगा।

5- विभिन्न वित्तीय संस्थानों से प्राप्त आय को विभिन्न मदों पर व्यय करने तथा विभिन्न कार्यक्रमों एवं संस्थाओं में कार्यरत अधिकारियों/शिक्षकों/प्रशिक्षकों तथा कर्मचारियों इत्यादि के पारिश्रमिक एवं वेतन का भुगतान समय से किये जाने का दायित्व भी मुख्य न्यासी का होगा।

6- मुख्य न्यासी को अपने वित्तीय अधिकारों एवं दायित्वों को पूर्ण रूप से अथवा सीमित रूप से हस्तान्तरित करने का अधिकार होगा तथा इस निमित्त आवश्यकतानुसार सम्बन्धित कार्यक्रमों/इकाइयों/प्रबन्ध समितियों के नाम से विभिन्न बैंकों में खाते इत्यादि खोलने एवं बन्द करने का अधिकार मुख्य न्यासी को न्यासमण्डल की सहमति से होगा।

7- इसके द्वारा अन्तर्गत सरकार से अनुदानित एवं सम्बद्धित होने वाली किसी भी संस्था की वित्तीय व्यवस्था, आय, व्यय तथा वेतन भुगतान इत्यादि की व्यवस्था न्यासमण्डल की अनुमति से तत्सम्बन्धी शासकीय नियमों के अन्तर्गत किये जाने की व्यवस्था का अधिकार मुख्य न्यासी का होगा।

ii) न्यास की सम्पत्तियों की प्रशासनिक एवं प्रबन्धकीय व्यवस्था:

न्यास की सम्पत्तियों की प्रशासनिक एवं प्रबन्धकीय व्यवस्था निम्नलिखित रूप से की जायेगी–

6211
75
40
60
50,1

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 35AA 166582

1. न्यास की प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग की जायेगी तथा भविष्य में न्यास द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की जायेगी उस पर भी इस न्यास के अन्तर्गत निर्धारित नियम एवं शर्तें लागू होंगी।
2. न्यास की ओर से न्यास की सम्पत्तियों सम्बन्धी दस्तावेजों को निष्पादित करने के लिए मुख्य न्यासी प्रमुख रूप से अधिकृत होंगे। आवश्यकतानुसार मुख्य न्यासी स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य न्यासी को भी अधिकृत कर सकेंगे।
3. न्यास की ओर से स्थापित संस्थाओं एवं समितियों को संचालित करने के लिए भूमि एवं भवन क्रय करने अथवा निर्माण करने, चल/अचल सम्पत्तियों को अधिग्रहण करने के लिए आवश्यक कार्यवाही मुख्य न्यासी न्यासमण्डल की अनुमति से कर सकेंगे। न्यास मण्डल की सर्वसम्मति से न्यास की सम्पत्तियों को किराये पर उठाने के कार्य हेतु ऐसे भवन एवं दुकान आदि की व्यवस्था की जा सकेगी अथवा किराये पर अथवा पट्टे पर देने का निर्णय न्यासमण्डल की सर्वसम्मति से ही मान्य होगा।
4. न्यास की किसी भी अचल सम्पत्ति को हस्तान्तरण करने अथवा किसी व्यक्ति को उत्तराधिकार के रूप में हस्तान्तरित करने का अधिकार किसी भी न्यासी/व्यक्ति को नहीं होगा। यदि न्यासमण्डल किसी सम्पत्ति को विक्रय योग्य होने की स्थिति में न्यास के हित में ऐसे करने को आवश्यक एवं अपरिहार्य समझता है तो सक्षम न्यायालय अथवा विधिक रूप से प्राधिकृत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करके ही उक्त सम्पत्ति अथवा उसके किसी भी भाग को बिक्री की जा सकेगी।
5. न्यास की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने या दुरुपयोग करने वालों को दण्डित करने का अधिकार न्यास मण्डल को प्राप्त होगा। न्यास व उसके अधीन संचालित संस्थाओं तथा विभिन्न कार्यक्रमों एवं समारोहों हेतु निर्धारित व्यावहारिक व्यवस्था के अन्तर्गत गठित समितियों एवं प्रबन्ध समितियों तथा न्यास की अन्तर्गत संचालित होने वाली संस्थाओं के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध न्यास मण्डल के निर्णय से भी उक्त कार्य किसी भी

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

23 MAR 2017

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

35AA 166583

5. अनुशासनात्मक / प्रशासनिक कार्यवाही की अपील प्रबन्धक मुख्य न्यासी के समक्ष की जायेगी तथा मुख्य न्यासी द्वारा उक्त अपील की सुनवाई करके दिया जाने वाला निर्णय अन्तिम होगा।

6. न्यास के अन्तर्गत संचालित होने वाली किसी भी संस्था अथवा उसकी प्रबन्ध समिति को किसी आपत्तिजनक पाया जाने की दशा में प्रबन्ध समिति द्वारा संचालित संस्था की समस्त चल–अचल सम्पत्ति न्यास की मानी जायेगी तथा न्यास के मुख्य न्यासी का उस पर पूर्ण अधिकार होगा। किसी भी कारण से भंग होने वाली प्रबन्ध समिति के किसी भी पदाधिकारी अथवा सदस्य का उक्त संस्था की चल–अचल सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार का दावा/अधिकार मान्य नहीं होगा जब तक कि भंग प्रबन्ध समिति के स्थान पर विधिक रूप से गठित दूसरी प्रबन्ध समिति का अनुमोदन प्राप्त न हो जाये।

7. न्यास द्वारा अथवा न्यास के विरुद्ध योजित किसी भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन न्यास के नाम से किया जायेगा जिसकी पैरवी न्यास की ओर से मुख्य न्यासी द्वारा अथवा मुख्य न्यासी की अनुपस्थिति में उनके द्वारा अधिकृत अन्य न्यासी द्वारा सम्पन्न की जा सकेगी।

8. न्यास अपनी सम्पत्ति के प्रबन्धन एवं दिन प्रति दिन के कार्यों के सम्पादन हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति नियमित पद/संविदा पर/मानदेय पर भी करेगा तथा न्यास सम्पत्ति, न्यास के हित संवर्धन को लेकर वह सभी कार्य करेगा जो आवश्यक हों तथा न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हों।

9. न्यास के अभिलेख

न्यास के अभिलेखों को तैयार करने, रखने व रख–रखाव का दायित्व मुख्य न्यासी का होगा। मुख्य न्यासी द्वारा मुख्य रूप से न्यास के लिए सूचना रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर व लेखा का रजिस्टर इत्यादि रखा जायेगा।

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

INDIA

23 MAR 2017

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 35AA 166584

। मैंने उक्त [illegible] बिना किसी दबाव व [illegible] के अपनी खुशी व रजामन्दी से [illegible] यह न्यास विलेख निष्पादित कर दिया और हस्ताक्षरित कर दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

न्यास द्वारा स्थापित, संचालित एवं सम्बद्ध शिक्षण संस्थाओं के लिए नियमावली (प्रशासन योजना) निम्नलिखित रूप में होगी –

नियमावली:

1. कार्यक्षेत्र : जम्मू एवं कश्मीर के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सहित सम्पूर्ण भारत वर्ष
2. संस्था के उद्देश्य : न्यास विलेख में उल्लिखित उद्देश्यों के अनुसार
3. संस्था की सदस्यता : न्यास मण्डल के मुख्य न्यासी व न्यासी साधारण सभा के सदस्य माने जायेंगे।
4. सदस्यता : किसी भी सदस्य की सदस्यता निम्नलिखित दशाओं में समाप्त समझी जायेगी –
   - (अ) – सदस्य की मृत्यु हो जाने पर
   - (ब) – पागल अथवा दिवालिया हो जाने पर
   - (स) – किसी अपराध में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर
   - (द) – संस्था के नियमों का पालन न करने पर
   - (य) – संस्था के हितों के विरुद्ध कार्य करने पर
   - (र) – लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर
   - (ल) – त्याग पत्र स्वीकार हो जाने पर
   - (व) – अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर
5. संस्था के अंग : संस्था के निम्नलिखित दो अंग होंगे –
   - (अ) – साधारण सभा
   - (ब) – प्रबन्ध समिति

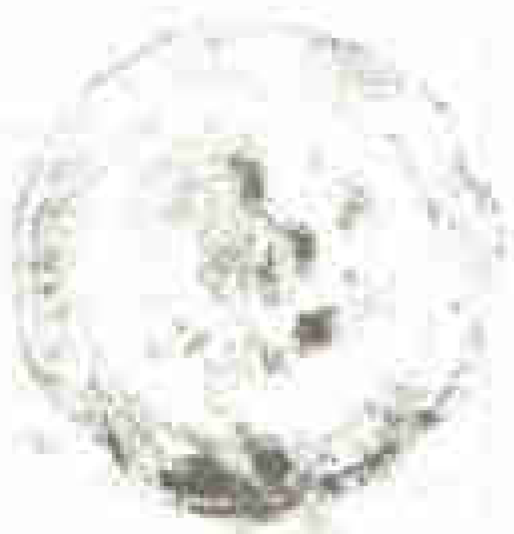

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

35AA 166585

6. साधारण सभा :

(क) गठन : न्यास के मुख्य न्यासी व न्यासी संयुक्त रूप से साधारण सभा के सदस्य होंगे।

(ख) बैठकें : साधारण सभा की सामान्य बैठक 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक तीन दिन पूर्व लिखित सूचना देकर बुलाया जा सकता है।

(ग) कोरमपूर्ति : साधारण सभा की सभी प्रकार की बैठकों के लिए कुल सदस्यों का 50 प्रतिशत के अतिरिक्त एक सदस्य की उपस्थिति आवश्यक होगी किन्तु कोरम के अभाव में स्थगित सभा को आहूत बैठक के लिए कोरम का प्रतिबन्ध न होगा तथा सन्यासादि का भी प्रतिबन्ध न होगा लेकिन एजेण्डा के विषय पूर्ववत ही रहेंगे।

(घ) विशेष वार्षिक अधिवेशन : साधारण सभा के विशेष वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार किया जायेगा जिसकी तिथि अध्यक्ष द्वारा निश्चित की जायेगी।

(ङ) साधारण सभा :
(1). प्रबन्ध समिति का चुनाव करना
(2). वार्षिक आय–व्यय बजट पारित करना
(3). संस्था की उन्नति के लिए नीति निर्धारित करना
(4). वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पारित करना
(5). संस्था को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सभी आवश्यक अधिकार होंगे।

¥25

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

INDIA

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

35AA 166586

10. संस्था के हित में संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन बहुमत से पारित करना।

7. प्रबन्ध समिति :

(क) गठन :

1. प्रबन्ध समिति के कुल सदस्यों की संख्या 09 होगी।
2. प्रबन्ध समिति का गठन न्यासमण्डल के सदस्यों (साधारण सभा) की बैठक में चुनाव द्वारा बहुमत से किया जायेगा जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक प्रबन्ध निदेशक/सचिव, एक कोषाध्यक्ष व तीन सदस्य होंगे परन्तु प्रबन्ध निदेशक/सचिव पद हेतु सचिव पद का चयन साधारण सभा द्वारा नहीं किया जायेगा क्योंकि न्यास का मुख्य न्यासी ही न्यास द्वारा न्यास के अन्तर्गत संस्था/शिक्षण संस्थान की प्रबन्ध समिति का सचिव होगा। यह शर्त मुख्य न्यासी के उत्तराधिकारी पर भी लागू होगा।
3. प्रबन्ध समिति में न्यास द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्य/शिक्षक व कार्यालय कर्मचारी को मिलाकर न्यूनतम 02 पदेन सदस्य, अध्यक्ष द्वारा नामित किये जा सकेंगे।
4. प्रबन्ध समिति का कार्यकाल उसके गठन की तिथि से 05 वर्ष के लिए होगा परन्तु अगली प्रबन्धकारिणी समिति के गठन तक पिछली प्रबन्धकारिणी समिति प्रभावी रहेगी।

(ख) बैठकें : प्रबन्ध समिति की बैठक सामान्यतया वर्ष में दो बार होगी किन्तु आवश्यकतानुसार प्रबन्धकारिणी समिति इसके अतिरिक्त भी बैठक कर सकती है।

(ग) सूचना अवधि : प्रबन्ध समिति सामान्य बैठक की सूचना सदस्यों एवं पदाधिकारियों को कम से कम 07 दिन पूर्व व आकस्मिक बैठक 24 घण्टे पूर्व

[illegible] 126
16
4/5
60
20 [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

23 MAR 2017

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

35AA 166581

सदस्यों को सूचना रजिस्टर/डाक द्वारा/दस्ती द्वारा दिया जा सकता है। सूचना को सूचना देने की स्थिति में बैठक की तिथि कार्यवाही रजिस्टर के साथ-साथ सूचना रजिस्टर पर उपस्थिति के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

(ग) गणपूर्ति : प्रबन्ध समिति की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से 1/2 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी। गणपूर्ति के अभाव में बैठक को स्थगित कर दिया जायेगा। स्थगित बैठक को पुनः बुलाने पर कोरम का प्रतिबन्ध नहीं होगा।

(घ) रिक्त स्थान की पूर्ति : प्रबन्ध समिति के अन्दर रिक्त स्थान होने पर साधारण सभा (साधारण सभा) के सदस्यों की बहुमत से पूरा शेष कार्यकाल के लिए की जायेगी।

8. प्रबन्ध समिति के अधिकार एवं कर्तव्य –

(क). संस्था/शिक्षण संस्थान के विकास के लिए आवश्यक कार्य करना।

(ख). संस्था/शिक्षण संस्थान का वार्षिक बजट एवं वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।

(ग) आवश्यकतानुसार संस्था/शिक्षण संस्थान के लिए भूमि क्रय करने व उस पर भवन निर्माण कराने एवं संस्था/शिक्षण संस्थान के हित में आवश्यकतानुसार क्रय-विक्रय करना एवं पट्टे पर देना।

(घ) संस्था/शिक्षण संस्थान से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम के अन्तर्गत मांगी गयी सूचना व सम्बन्धित शैक्षिक अभिलेख को एकत्र करना व प्रदान करना।

627

15

60

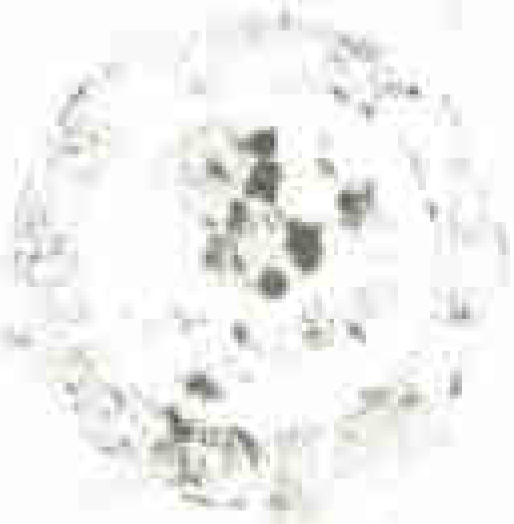

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 35AA 166587

(क) राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव का आयोजन करना, समाज के निर्बल एवं बेरोजगार लोगों के उत्थान हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार से सम्बन्धित सभी मंत्रालय, ग्राम्य एवं विकास, खादी ग्रामोद्योग आयोग, अनुसूचित जाति–जनजाति, वित्त निगम, उत्तर प्रदेश पर्यावरण मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला कल्याण निगम, पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय, वन मंत्रालय, जिला योजना संस्थाओं, विश्व बैंक व अन्य विकासशील संस्थाओं से प्राप्त अनुदान व आर्थिक सहायता, ऋण व दान के रूप में प्राप्त कर उद्देश्यों की पूर्ति एवं चैरिटेबल कार्यों में खर्च करना। आवश्यक कार्यवाही हेतु संस्था की चल एवं अचल सम्पत्ति को बन्धक/रेहन रखना।

(ख) संस्था/शिक्षण संस्थान के कर्मचारियों की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति व अवनति करना।

8 प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के अधिकार एवं कर्तव्य

(अ) अध्यक्ष के

1. प्रबन्ध बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. बैठकों के लिए तिथि का अनुमोदन करना, विशेष परिस्थिति में समस्त शुभ बैठकों को स्थगित करना।
3. सदस्यों के नाम एवं कार्यवाही रजिस्टर पर नोट कराना एवं सुनाना।
4. बैठकों की सूचना लिखित अथवा दूरभाष द्वारा देंगे।

(ब) सचिव

1. संस्था/शिक्षण संस्थान का कार्यवाहक होगा।
2. बैठकों के लिए तिथियों का निर्धारण करना।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

23 MAR 2017

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

35AA 166508

3. समान मत होने पर निर्णायक मत देना।
4. संस्था/शिक्षण संस्थान की ओर से समस्त पत्र व्यवहार करना।
5. सदस्यों के आवेदन पर विचार करना तथा सदस्य बनने की अनुमति प्रदान करना।
6. वैतनिक कर्मचारियों/शिक्षकों/प्रशिक्षकों की नियुक्ति, निष्कासन, वेतनवृद्धि एवं पदोन्नति व कटौती करना।
7. संस्था/शिक्षण संस्थान से सम्बन्धित बिल व वाउचर्स, अनुबन्ध पत्रों, नियुक्ति पत्रों आदि पर हस्ताक्षर करना।
8. संस्था/शिक्षण संस्थान की स्वीकृति की प्रत्याशा में आवश्यकतानुसार धन व्यय करना।
9. प्रबन्ध समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना।
10. स्वीकृत बजट के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति देना।
11. संस्था/शिक्षण संस्थान की ओर से अदालती कार्यवाही करना या किसी को नियुक्त करना।
12. संस्था/शिक्षण संस्थान की समस्त चल-अचल सम्पत्ति की रक्षा करना एवं उस पर नियंत्रण रखना।
13. संस्था/शिक्षण संस्थान की ओर से समस्त योजनाओं को चलाने का अधिकार व नियंत्रण होगा।
14. राजकीय सहायता, अनुदान एवं ऋण प्राप्त करना।
15. संस्था/शिक्षण संस्थान की ओर से केन्द्रीय/राज्य सरकारों एवं अन्य संस्थाओं पर प्रतिनिधित्व करना एवं सम्पर्क स्थापित करना।
16. संस्था/शिक्षण संस्थान का प्रशासनिक ढांचा तैयार करना एवं हर स्तर पर उसका पालन सुनिश्चित करना।

623 [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 35AA 166589

17. संस्था/शिक्षण संस्थान में आयोजित कार्यक्रम का समय–समय पर निरीक्षण करना और उसका वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना।

18. संस्था/शिक्षण संस्थान के कर्मचारियों के कार्यों को समय–समय पर आवश्यकतानुसार पूरी सहायता और निर्देशित करना।

(ख) कोषाध्यक्ष

1. सदस्यों से चन्दा व अन्य स्रोतों से धन प्राप्त कर यथाविधि रसीदें देना व प्राप्त धन को किसी निकटस्थ राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा करना।
2. सचिव द्वारा स्वीकृत बिलों व वाउचरों का भुगतान करना।
3. संस्था/शिक्षण संस्थान के आय–व्यय का लेखा-जोखा रखना तथा उसे सचिव से अनुमोदित कराकर प्रबन्ध मण्डल (साधारण सभा) में प्रस्तुत करना।
4. संस्था/शिक्षण संस्थान का प्रति वर्ष का ऑडिट कराकर निरीक्षण हेतु सचिव को प्रस्तुत करना।

(ग) ऑडीटर

संस्था/शिक्षण संस्थान से सम्बन्धित विभिन्न लेखाओं व पत्रावलियों को प्राप्त करना व निरीक्षण हेतु सचिव द्वारा अनुमोदित पश्चात् सम्बन्धित विभाग को निर्गत करना।

10. संस्था/शिक्षण संस्थान के कोष

संस्था/शिक्षण संस्थान के समस्त सम्बन्धित कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर में संस्था/शिक्षण संस्थान के नाम से खाता खोलकर व एकाउन्ट के रूप में जमा किया जायेगा।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20 रु.20

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 35AA 166590

जिसका संचालन समिति द्वारा गठित के द्वारा नामित व्यक्ति के द्वारा संचालित किया जायेगा।

संस्था/शिक्षण संस्थान के प्रबन्ध समिति के किन्हीं आन्तरिक [illegible] होने की दशा में प्रबन्ध समिति द्वारा संचालित संस्था/शिक्षण संस्थान की समस्त चल-अचल सम्पत्ति न्यास की [illegible] तथा न्यास के मुख्य न्यासी का उस पर अधिकार होगा। भंग प्रबन्ध समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य का उस सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा जब तक कि भंग प्रबन्ध समिति के स्थान पर दूसरी नई प्रबन्ध समिति का अनुमोदन न हो जाये।

दिनांक -

मसविदाकर्ता
प्रकाश अवस्थी (एडवोकेट)
तहसील– खागा, फतेहपुर
Mo 8576317074
DATE: 15-4-017

हस्ताक्षर गवाहान :- हस्ताक्षर न्यासकर्ता

1. नाम [illegible]

पता [illegible]

(अभय प्रताप सिंह)
पुत्र स्व० श्री पुष्पराज सिंह

2. नाम Prakash Awasthi S/o Prem Shanker Awasthi

पता Dhanjai Tola Khaga
Mo 8576317074

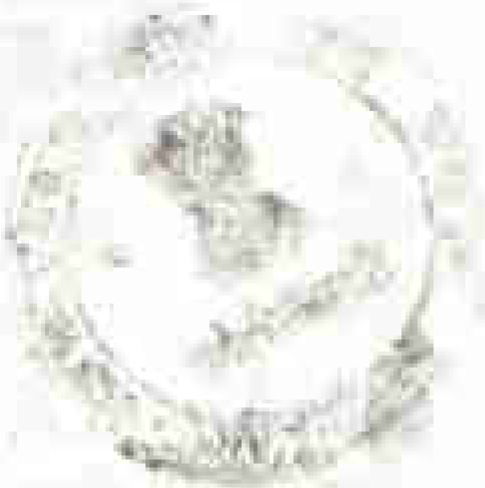

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

अभय प्रताप सिंह
Abhay Pratap Singh
जन्म तिथि/ DOB: 10/09/1969
पुरुष / MALE

6136 2392 9822

आधार-आम आदमी का अधिकार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता:
आत्मज: युवराज सिंह, नई बाजार इस्लामी वार्ड न.12, खागा, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश - 212655

Address:
[illegible]

6136 2392 9822

Aadhaar-Aam Admi ka Adhikar

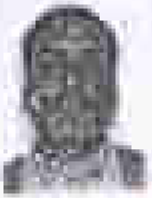

9827 8057 45[illegible]

आधार – आम आदमी का अधिकार

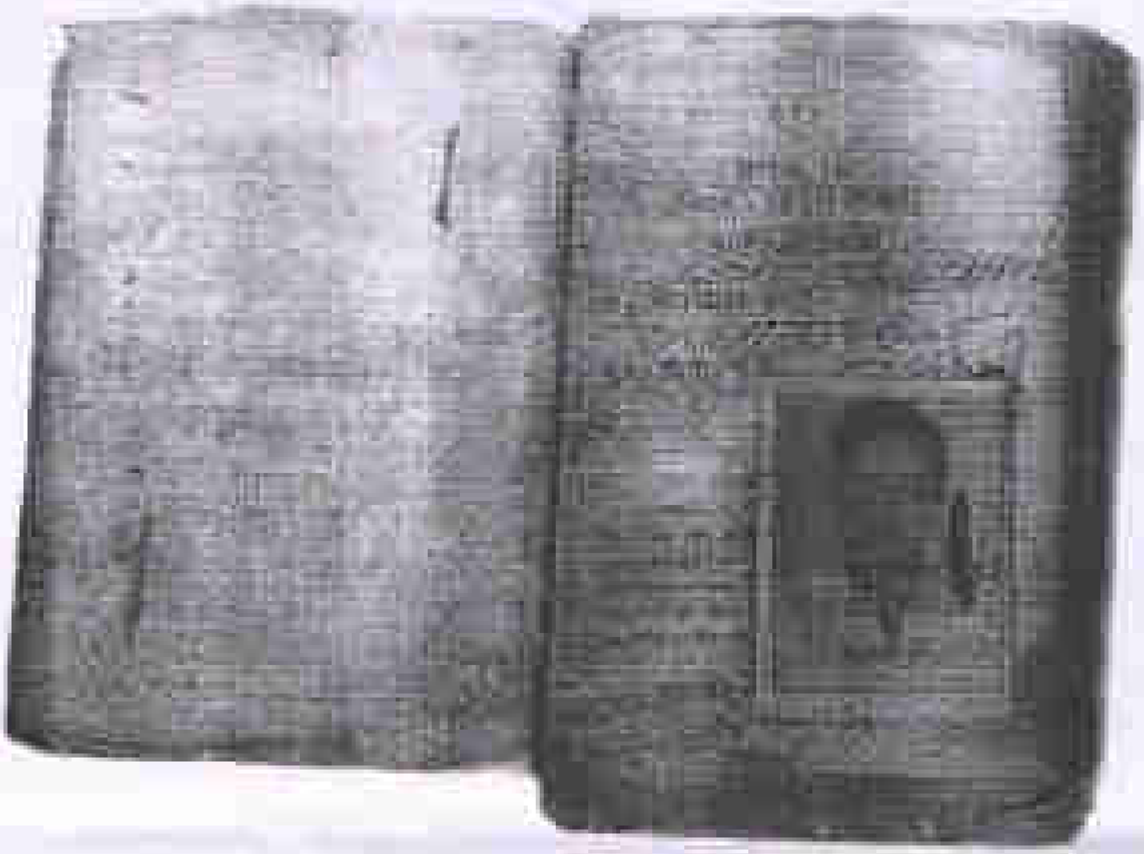

आज दिनांक 15/04/2017 को

बही सं. 4 जिल्द सं. 9

पृष्ठ सं. 385 से 436 पर क्रमांक 8

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

[illegible] (प्र0)

उपनिबन्धक खागा

फतेहपुर

[illegible]